नहीं।

अधिकारी
ला-कोली

आदेश दिनांक 21-12-16

21-12-16 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी मय वादी स्वयं उपस्थित
वकील वादी ने गवाह मा... पुत्र ... का शपथ पत्र पेश
किया जो शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते बहस
अन्तिम दिनांक 6.1.17 को पेश हो

6.1.17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस
अन्तिम दिनांक 18.1.17 को पेश हो।

18/1/17 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस
अन्तिम दिनांक 1.2.17 को पेश हो

1/2/17 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते
निर्णय पत्रावली दि. 11/2/17 को पेश हो।

11/2/17 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित।
बहस वकील वादीगण का मनन किया गया। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा यह वादपत्र इस आशय
का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख.न. 1366 रकबा 2 बीघा
19 बिस्वा ग्राम-रोधई तहसील म०डरायल वादीगण के पिता
मिश्रीलाल के समय की है, जिस पर वादीगण बतौर खातेदार
काबिज काश्त है जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है।
प्रतिवादीगण के पितागण ने वादीगण के पिता व वादीगण से
छिपाते हुये संवत 2015 सेटलमेंट खतौनी में अपने हक में
गलत खातेदारी इन्द्राज करा लिये है, जो हक हकूक वादीगण
पर प्रभावहीन है, जिन्हे वादीगण दुरस्त करवाकर अपने हक में
खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त तथ्यों के

P.T.O. ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

समर्थन में वादीगण ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2015 व सेटिलमेंट खतौनी सम्वत 2015 व जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 प्रस्तुत की है और साक्ष्य मौखिक में वादी कैलाशचन्द व गवाह माखन के बयान कराये हैं। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 13-4-16 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी नं. 9 द्वारा भी वादीगण की साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 प्रदर्श-3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-2 से ख.नं. 1366 का साबिक ख.नं. 1042 होना व ख.नं. 1042 सेटिलमेंट सम्वत 2015 से पूर्व वादीगण के पिता मिश्रीलाल पुत्र मदन ब्राह्मण नि. रोधई के खातेदारी की भूमि होना प्रमाणित है। जिसका सेटिलमेंट सम्वत 2015 में प्रतिवादीगण के पितागण के हक में बिना आधार होना वादीगण साक्ष्य से साबित है, जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी ख.नं. 1366 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा ग्राम - रोधई तहसील मण्डरायल का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखाकर जाकर सुनाया गया।

11/5/16

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला-करौली)